

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

कं/आई.डी.एस.पी./2020/494

भोपाल दिनांक 18/04/2020

प्रति,


1. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन म.प्र.।
2. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन म.प्र.।

विषय:- COVID-19 के Rapid Antibody Test हेतु निजी चिकित्सालयों को अधिकृत करने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नियंत्रण पर की गई चर्चा अनुसार निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की रेपिड एन्टिबॉडी टेस्ट किट के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त संस्थाएं ICMR द्वारा अनुमोदित "Rapid Antibody Test" Kit (Blood Based) का ही उपयोग करेंगे एवं इस संबंध में ICMR द्वारा दिनांक 04.04.2020 को जारी एडवाइजरी एवं दिनांक 17.04.2020 को जारी Protocol for using "Rapid Antibody Test" Kit (Blood Based) का पालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त टेस्ट में पॉजीटिव पाए जाने पर इसकी सूचना तत्काल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाये तथा मरीज को अग्रिम उपचार हेतु निकटस्थ डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर (DCCC) Dedicated Covid Health Center (DCHC) रेफर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- संलग्न- 1. ICMR Advisory to start "Rapid Antibody Test" दिनांक 04.04.2020 की प्रति।
2. ICMR Protocol for using Rapid Antibody Test दिनांक 17.04.2020 की प्रति।


(फैज अहमद कदवई) 18/4/20
आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 18/04/2020

कं/आई.डी.एस.पी./2020/495

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग गंत्रालय, भोपाल।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल।